दैनिक भास्कर
बिलासपुर 30-07-2025

बेदाग अभ्यर्थियों के भविष्य से नहीं खेला जा सकता: हाई कोर्ट

पीएससी भर्ती विवाद पर हाई कोर्ट ने कहा-निर्दोष अभ्यर्थियों को 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र दें

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

सीजी पीएससी-2021 की परीक्षा में चयनित बेदाग अभ्यर्थियों को अब राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने सोमवार को अपने अहम फैसले में निर्देश दिए हैं कि सीबीआई जांच में जिन अभ्यर्थियों के खिलाफ अब तक कोई विपरीत तथ्य सामने नहीं आए हैं, और जिनका नाम चार्जशीट में नहीं है, उन्हें 10 मई 2024 की वैधता अवधि के भीतर यानी 60 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें।

हाईकोर्ट ने कहा- कुछ अभ्यर्थियों पर ही आरोप

हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों पर आरोप हैं, जबकि बाकी पर कोई आरोप नहीं है। ऐसे में पूरी चयन सूची को दूषित मानकर सभी की नियुक्ति रोकना न केवल असंवैधानिक है बल्कि अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन भी है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियां सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन होंगी, और यदि भविष्य में कोई विपरीत तथ्य सामने आता है तो सरकार सेवा समाप्त कर सकती है। बता दें कि कुछ याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट से जमानत भी नहीं मिली है।

सीजी पीएससी ने 26 नवंबर 2021 को 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, लेखाधिकारी, जेल अधीक्षक, नायब तहसीलदार समेत 20 सेवाओं में सीधी भर्ती होनी थी।11 मई 2023 को नतीजे घोषित किए गए। शेष | पेज 3